

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 38/2021

तारीख 21.09.2021

अनवान

गोपाललाल पिता उदयलाल जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. मन्नलाल पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपाल पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सरजु पत्नि घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक : 3 / 12 / 2021

प्रार्थना पत्र गोपाललाल पिता उदयलाल जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा मण्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 598/204 रकबा 5-00 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान ..... में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा मण्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 598/204 रकबा 5-00 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा अतिवादी)  
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

# FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजोलियां



गोपाल

बनाम

मना लाल

किस्म मुकदमा - 111-128

नम्बर 38 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/9 /2021	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। परोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 12/10/2021 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजोलियां</p>	
03 <sup>12</sup> / <sub>2021</sub>	<p>पत्रावली बन्द बस्ते से आज प्रशासन गाँवी के संग अभियान 2021 में शिबिर स्थान उमा जी का बेटा में पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवो संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजोलियां (भीलवाड़ा)</p>	